ISSN : 2395-4132

THE EXPRESSION

An International Multidisciplinary e-Journal

Bimonthly Refereed & Indexed Open Access e-Journal

Impact Factor 3.9

Vol. 6 Issue 3 June 2020

Editor-in-Chief : Dr. Bijender Singh

Email : editor@expressionjournal.com

www.expressionjournal.com

The Expression: An International Multidisciplinary e-Journal
(A Peer Reviewed and Indexed Journal with Impact Factor 3.9)
www.expressionjournal.com ISSN: 2395-4132

भारतीय जीवन बीमा निगम की संगठन संरचना एवं कार्य : एक शोधात्मक अध्ययन

डा0 शाज़िया अंसारी
प्रवक्ता–समाजशास्त्र
जी.एफ. (पी.जी) कालेज, शाहजहॉपुर (उ0प्र0)

Abstract

सन्दर्भ–जीवन बीमा मृत्यु के उपरान्त होने वाली हानि की पूर्ति हेतु किया जाता है क्योंकि मृत्यु की घटना निश्चित है केवल उसके घटने का समय अनिश्चित है। इसके अन्तर्गत बीमाकर्ता, बीमाकृत को एक निश्चित अवधि समाप्त होने पर या मृत्यु होने तक (दोनों में जो पहली स्थिति हो) एक निश्चित रकम देने का आश्वासन देता है बदले में बीमाकृत को अपने जीवन पर ली गई पॉलिसी पर समझौते के अन्तर्गत मृत्यु होने तक या एक निश्चित अवधि तक एक निश्चित प्रीमियम देना पड़ता है। जीवन बीमा मृत्यु के अतिरिक्त शारीरिक अयोग्यता, वार्षिकी अथवा सुपर एनुएशन भत्ते से भी सम्बन्धित हो सकता है जीवन बीमा सहकारिता तथा अनुबन्ध की वैधानिकता पर आधारित है।

Key Words

आश्वासन, प्रीमियम, वैधानिकता, बांछनीय, वार्षिकी, अनुबन्ध, सुपर एनुएशन, प्रीमियम प्रशासनिक, सहकारिता, बांछनीय, संगठन

The Expression: An International Multidisciplinary e-Journal
(A Peer Reviewed and Indexed Journal with Impact Factor 3.9)
www.expressionjournal.com ISSN: 2395-4132

भारतीय जीवन बीमा निगम की संगठन संरचना एवं कार्य : एक शोधात्मक अध्ययन

डा0 शाज़िया अंसारी
प्रवक्ता–समाजशास्त्र
जी.एफ. (पी.जी) कालेज, शाहजहॉपुर (उ0प्र0)

शोध पत्र–जीवन बीमा समाज की बचत को सामाजिक रूप से बांछनीय निवेश की ओर प्रवाहित करता है तथा राष्ट्रीय नीति के अनुसार आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है। **''बीमा एक ऐसा तरीका है, जिजसे कोई वित्तीय हानि जो एक व्यक्ति द्वारा सहन करना कठिन है, बहुतों में बांट दी जाती है।''** जे0 बी0 मैक्लीन।

जीवन बीमा अधिनियम को ध्यान में रखते हुये संगठन का ढ़ांचा इस प्रकार रखा गया जिसमें केन्द्रीय कार्यालय सबसे ऊपर है। जो प्राथमिक रूप से नीतियां तैयार करता है। अपने–अपने कार्यक्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले मण्डल कार्यालयों का विकास व्यवसाय की योजना तथा विकास के मामले में 5 क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय कार्यालयों की सहायता करते हैं। जनपद कार्यालय का स्वरूप पहले से बीमाकर्ता के मुख्य कार्यालय के समान है। उनका कार्य नये व्यवसाय को प्राप्त करने से लेकर दावों का भुगतान करने तक होता है। प्रत्येक जनपद के आधीन शाखा कार्यालय तथा उप कार्यालय होता है। व्यवसाय को प्राप्त करने के लिये निम्न संवर्ग के माध्यम भी होते हैं जिन्हें विकास केन्द्र कहा जाता है। यह केन्द्र उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहॉ पर बीमा व्यवसाय का विकास नहीं हुआ है। किन्तु कुछ प्रयास करके वहॉ पर बीमा व्यवसाय का विकास किया जा सकता है।

बेमा निकाय की शाखाओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है

निगम

↓

केन्द्रीय कार्यालय

↓

क्षेत्रीय कायालय

↓

मण्डल कार्यालय

↓

शाखा कार्यालय

''बीमा एक साधन है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों का जोखिम एक बीमाकर्ता को हस्तांतरित होता है जो एक निर्धारित प्रतिफल (जिसे प्रीमियम प्रशासनिक कहते हैं) के बदले में बीमादार की निर्धारित हानि को पूरा करने के लिये तैयार है।'' डब्ल्यू0 ए0 डिंस बुले

दिसम्बर 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जीवन बीमा प्रशासन से सम्बन्धित रिर्पोट भारत सरकार को प्रस्तुत की। इसके बाद 1971 में केन्द्रीय कार्यालय ने आयोग की सिफारिशों को मंजूर किया तथा निगम को निम्न लिखित निर्णय सम्प्रेषित किया गया–

''केन्द्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कुछ अधिकार अधीनस्थ कार्यालयों को प्रदान किये गये। इस मामले विस्तृत समीक्षा करने के लिये एक विस्तृत समिति बनाई जाये तथा उससे इस विषय में तत्काल रिर्पोट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाये। क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यो को प्रचंड रूप से काम करने दिया जाये और जनपद कार्यालय पहले के बीमा कर्ताओं को मुख्य कार्यालय जैसा कार्य करने दिया जाये। इस दिशा में कदम उठाये जायें तथा नीति निर्धारण निवेश तथा कुछ विशेष कार्य जो केन्द्रीय कार्यालय द्वारा किये जाते हैं इन परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिये संक्रान्ति काल नियत किया जाये जिसके अन्त में क्षेत्रीय कार्यालयों को समाप्त कर दिया जाये। शाखा कार्यालय आवश्यक पॉलिसी धारक सेवायें दें सके इसके लिये कदम उठाये जायें।

तद्नुसार निगम द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपनी रिर्पोट में तय किया कि विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त निगम ने विभिन्न सुझावों को स्वीकार कर लिया है।

अतः निगम के कार्यालय अपने अधिकांश कार्य अपने अधीनस्थ जनपद कार्यालयों को हस्तांरित करने की स्थिति में हैं। इसी प्रकार जनपद कार्यालय अपने अधिकांश कार्य शाखा कार्यालयों को हस्तांतरित कर चुके हैं, या उनके अन्तरण की प्रक्रिया जारी है। निगम के जनपद तथा शाखा कार्यालय में पहले उच्चतर कार्यालयों पर होने वाली अधिक से अधिक प्रशासनिक जिम्मेदारियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। पांच क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास तथा मुम्बई में हैं। उनके अधीन कई जनपद तथा शाखा कार्यालय है जिसके कार्य कलापों का समन्वय वे करते हैं। निगम के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से उनका सम्बन्ध होता है। ओ0 आई0 सी0 (संगठन सुधार प्रकोष्ठ) के नाम से जानी पहचानी जाने वाली प्रतिकृति के अन्तर्गत शाखा कार्यालय को लाभ केन्द्र के रूप में मानना है तथा ऐसे एक अलग प्रशासनिक एकक भी माना गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एक समामेलित सार्वजनिक निगम है जिसका सरकार से पृथक वैधानिक अस्तित्व है। यह वे सभी कार्य कर सकता है जिन्हें करने की शक्ति इसे अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई है इस प्रकार वे सभी विशेषतायें इस निगम में हैं जो सामान्यतः एक सार्वजनिक निगम में पाई जाती है। किसी संस्था के कुशल संचालन के लिये उसके प्रबन्धकों को उसका आंतरिक संगठन का स्वरूप के आधार पर ही प्रबन्ध अपने उद्देश्यों को पूरा करवाता है। वास्तव में, संगठन वह साधन होता है जिसके माध्यम से वह अपनी संस्था के सम्पूर्ण कार्यो को विभिन्न व्यक्तियों में विभाजित करता है। केन्द्रीय कार्यालय सम्पूर्ण निगम का नियन्त्रण बिन्दु या केन्द्रीय बिन्दु होता है इस कार्यालय का प्रमुख कार्य नीतियां निर्धारण करना है। नीति निर्धारण के अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालय से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के तथा मण्डल कार्यालयों के कार्यो का समन्वय भी किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने सम्पूर्ण व्यवसाय को क्षेत्रीय कार्यालयों बांट रखा है इस कार्यालय के प्रबन्धक एवं संगठन में क्षेत्रीय परामर्श मण्डल तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य क्षेत्र को अनेक मण्डल कार्यालयों में बांटा गया है। यह वह सेवा केन्द्र है जो न केवल बीमितों को ही अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि निगम के एजेण्टों, विकास अधिकारियों, कर्मचारियों, शाखा कार्यालयों की भी महत्वपूर्ण से सेवा करता है। प्रत्येक मण्डल प्रबन्धक अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में कार्य करता है। निगम के शाखा कार्यालय वे प्राथमिक केन्द्र हैं जहॉ पर व्यवसाय प्राप्त किया जाता

है यही वह स्थान है जहाँ पर निगम के अधिकांश कर्मचारी, अधिकारी बैठते हैं तथा ग्राहकों की अधिकांश समस्याओं का निपटारा किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्य–

लाइफ इन्श्योरेंश एक्ट की धारा 6 में कारपोरेशन के कार्यो को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। इसके अनुसार कारपोरेशन का सामान्य कार्य है जीवन बीमा व्यवसाय करना, चाहें यह व्यवसाय भारत में किया जाने वाला या विदेशों में और इस कार्य को कारपोरेशन को इस ढंग से करना होगा जिससे समाज को अधिकतम लाभ प्रदान करते हुये जीवन बीमा का व्यवसाय उत्तम हो सकें। जीवन बीमा से व्यवसाय में पूँजी शोधन व्यवसाय, निश्चित वार्षिकी व्यवसाय एवं जीवन बीमा से सम्बन्धित पुर्नबीमा का व्यवसाय भी शामिल है। जीवन बीमा निगम के द्वारा इन कार्यो को करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य उसकी स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति करना है इसका एक मुख्य उद्देश्य व कार्य देश–विदेशों में बीमा का प्रचार एवं प्रसार करना तथा व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर बीमा का संचालन करना है। निगम के निम्नलिखित कार्य बनाये गये हैं–

1. पूँजी मोचन तथा निर्धारित वार्षिकी व्यवसाय एवं जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा का व्यवसाय करना।
2. अपने व्यवसाय के लिये किसी भी सम्पत्ति खरीदना, रखना या बेचना।
3. किसी की चल या अचल सम्पत्ति की तथा अन्य प्रतिपूर्ति पर ऋण लेना एवं प्रबन्ध करना जो निगम उचित समझें।
4. निगम के कोषों को उचित आधार पर विनियोजित करना तथा किसी भी प्रकार के विनियोजित धन की रक्षा करने के लिये एवं भुनाने के लिये आवश्यक उपायों को प्रयुक्त करना। इसी प्रकार किसी विनियोग के सम्बन्ध में प्रतिभूति के रूप में पर्याप्त सम्पत्ति को रखना, लेना एवं उसका प्रबन्ध करना तथा उसे तब तक रोके रखना जब तक विक्रय के लिये उपयुक्त अवसर न आ जाये।
5. किसी भी ढंग से या किसी भी प्रतिभूति पर ऋण लेना एवं प्रबन्ध करना जो निगम उचित समझें।
6. यदि ऐसा करना निगम के लिये हितकारी समझा जाये तो भारत के बाहर किये गये बीमा व्यवसाय के समुदाय को हस्तान्तरित करना।
7. यदि पहले से जीवन बीमा निगम अन्य कोई व्यवसाय भी करता रहा हो और वह व्यवसाय भी निगम को हस्तान्तंरित हो जाये तो ऐसे व्यवसाय को स्वयं या अपने आश्रितों के माध्यम से करना।
8. ऐसा कोई भी व्यापार करना जिससे निगम को अपने व्यवसाय को करने में सुगमता होती है। तथा जिसके करने से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभ पहूँचता ो।

9. अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो निगम को अपने अधिकारों को पूर्ण करने में सहायता पहुँचाते हों या जो अपने हित में समझे जायें।
10. निगम के भारत में करोडों लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा के माध्यम से उन्हें आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की तथा देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कार्य किया है।

निष्कर्ष–इस प्रकार निगम की धारा 6 (3) में स्पष्ट कर दिया गया है कि निगम अपने कार्यो को पूर्ण करते समय व्यवसायिक सिद्धांतों को ध्यान में रखेगां। जीवन बीमा निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित सम्बन्धी निर्देशो का पालन करेगा। वैसे तो निगम अपने कार्य करने के लिये स्वतन्त्र है फिर भी अपने कार्यो को पूर्ण करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये दिशा निदेर्शो का पालन करना होगा। समय–समय पर केन्द्रीय सरकार कारपोरेशन को निर्देश दे सकती है, परन्तु निगम इन सभी निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य नहीं है जो सरकार ने उसे लिखकर दिया है। या जो जनहित नीति के मामले से सम्बन्धित हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1-Staley, E.	The Future of underdevelopment Countries
2-Agarwal] Naveen	Investment Pattern of LIC of India
3-Das & Gupta	Life Insurance Act.1956
4-Government of India	Principles of Life Insurance Corporation
5-Insurance Institute of India	Life Insurance Accounts
6- Insurance Institute of India	Principles of Life Assurance
7-Mani. P.A.S.	Life Insurance of India
8-Sen, M.M.	Elements of Life Insurance
9-Sen, A.K.	Choice of Techniques
10-L.I.C.I.	Accounts Manual
11-L.I.C.I.	Fact Book 1993
12-L.I.C.I.	Socio & Economic Profile
13-White, L.D.	The State of Social Science
14-L.I.C.I.	Training Course for P & G s Officials